राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक : प० 4(1)सा०प्र०वि०/6/2025-4131 जयपुर, दिनांकः— 06/02/2025

—: आदेश :—

मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 36/2024 दिनांक 04.07.2024 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालयों/चिकित्सालयों/विद्यालयों आदि के नामकरण के संबंध में नीति बनाये जाने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प. 5(3)मं.मं./2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय समिति की अनुशंषा के अनुसार निम्नानुसार एतदद्वारा दिशा—निर्देश जारी किये जाते है :—

1. राजकीय भवन की कुल लागत का 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत राशि दान किये जाने पर राजकीय भवन के नाम से पहले "राजकीय" शब्द एवं उसके पश्चात् दानदाता का नाम आएगा।

2. कुल लागत का 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत राशि दान करने पर पहले दानदाता का नाम एवं उसके पश्चात् "राजकीय" शब्द का प्रयोग भवन के नामकरण हेतु किया जा सकता है।

3. बिन्दु संख्या 2 की निरन्तरता में, कुल लागत की 100 प्रतिशत राशि दान देने पर दानदाता के चाहे जाने पर महापुरूष/स्वतंत्रता सेनानी/परिजन की मूर्ति राज्य सरकार के नियमानुसार लगायी जा सकेगी।

4. 50 प्रतिशत से कम राशि दान करने पर दानदाता के द्वारा दान की गयी राशि के अनुसार राजकीय भवन में निर्माण किये गये ब्लॉक, वार्ड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला—कक्ष, कक्षा—कक्ष इत्यादि पर नाम पट्टिका लगाये जाने का प्रावधान होगा।

5. यदि किसी राजकीय भवन हेतु आवश्यक सम्पूर्ण भूमि दानदाता द्वारा दान दी जाती है तो भवन के नामकरण में राजकीय शब्द के बाद दानदाता का नाम जोडा जा सकेगा।

6. नवीन भवन निर्माण हेतु निर्माण लागत का आकलन तत्समय विभाग हेतु निर्धारित निर्माण—दर के अनुसार किया जायेगा।

7. राजकीय भवन के नामकरण की एक बार अधिसूचना जारी होने के पश्चात नाम परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु यदि उस भवन में कोई अतिरिक्त निर्माण ब्लॉक, वार्ड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला–कक्ष, कक्षा–कक्ष के रूप में किया जाता है तो बिन्दु संख्या 4 के अनुरूप ऐसे ब्लाक, वार्ड, पुस्तकालय, प्रयोगशाला–कक्ष, कक्षा–कक्ष इत्यादि पर नाम पट्टिका लगाये जाने का प्रावधान होगा।

8. ऐतिहासिक महापुरूषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नामकरण का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर किया जायेगा।

9. राजकीय भवनों, चिकित्सालयों, विद्यालयों आदि के नामकरण दिवंगत स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम पर करने संबंधी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश कमांक प.5(3) मं.मं. /2024–01493 दिनांक 14.03.2024 द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा किया जायेगा।

10. <u>विशेष प्रावधानः</u>–

i. शहीद होने वाले सैनिकों के नाम पर नामकरण (शिक्षा विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 08.05.2008, 12.03.2012 एवं 30.01.2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार):–

(अ) विभिन्न ऑपरेशन्स में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम पर नामकरण किया जा सकेगा।

(ब) शहीद सैनिकों के नाम पर शहीद के ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने पर उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण किया जा सकेगा।

ii. शहीद सैनिकों के नाम पर राजकीय महाविद्यालयों का नामकरण वर्तमान प्रावधान अनुसार राज्य सरकार के स्तर से किया जा सकेगा।

iii. इन प्रकरणों में संबंधित विभाग ही नोडल विभाग रहेगें।

11. ऐतिहासिक महापुरूष एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामकरण के प्रकरणों में नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग होगा और शेष नामकरण प्रकरणों में संबंधित विभाग ही नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगें।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

Sudhansh Pant 6/2

(सुधांश पंत)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. समस्त विभागाध्यक्ष
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव